

अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(शुप-3, नरेगा)

कमांक एफ 4(21)ग्रावि / नरेगा / एमआईएस / 09

जयपुर, दिनांक

३ - AUG 2009

३ - AUG 2009

1. जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस एवं जिला कलेक्टर, समस्त
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।

**विषय: राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत एमआईएस को प्रभावी करने बाबत।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 09.07.09 को एमआईएस मैनेजर्स की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। बैठक में आयुक्त, ईजीएस, तकनीकी निदेशक, एनआईसी एवं अन्य विभागीय अधिकारियों द्वारा विस्तृत रूप से आईसीटी इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं सूचनाएं एमआईएस के माध्यम से भेजने के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इस क्रम में बैठक / कार्यशाला में निम्न महत्वपूर्ण निर्णय / निर्देश दिये गये :—

1. कार्यक्रम की नवीनतम प्रगति, आईसीटी इन्फ्रास्ट्रक्चर की सूचना जो एमआईएस मैनेजर्स द्वारा नेट पर डाली गई और जो सूचना कार्यालय को दी गई है, इन दोनों सूचनाओं में काफी अंतर था तथा प्राप्त सूचनाओं में आपसी मिलान नहीं हो रहा था। अतः सही सूचनाएं नेट पर डाली जावे। ग्राम पंचायत लेवल तक की अपडेट आईसीटी सूचना जो कि भारत सरकार के पत्र कमांक K-11011/2/08-NREGA(MON)/TS दिनांक 05.06.09 के संदर्भ में चाही गई थी। उसे एक सप्ताह के अन्दर मुख्यांलय तक ई-मेल के जरिये पहुंचाने का श्रम करे।
2. लेबर बजट में डाली गई राशि एवं अन्य विवरण जो एमआईएस में फीड किये गये है, उनमें काफी त्रुटिया है। भारत सरकार के पत्र कमांक K-11011/2/08-NREGA(MON)/TS दिनांक 03.06.09 के संदर्भ में लेबर बजट की राशि जो एमआईएस में डाली गई उसे तुरन्त अपडेट कराने का श्रम करे।
3. एमआईएस मैनेजर्स व अन्य कर्मचारी जो नरेगा में कार्यरत है, का टीए-डीए का भुगतान समय पर किया जाना सुनिश्चित करे।
4. ऐसी ग्राम पंचायते जहां बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहां पर बिजली कनेक्शन नरेगा फण्ड के प्रशासनिक मद की राशि में से लिया जाना सुनिश्चित करे, ताकि एमआईएस सम्बन्धी कार्य समय पर पूर्ण हो सके।
5. ब्लॉक्स पर कार्यरत कार्यक्रम अधिकारियों को हर माह की एक तारीख को ही मस्टररोल जारी करने के लिए पाबन्द किया जावे व एमपीआर सम्बन्धी सही सूचना समय पर दिया जाना सुनिश्चित करे।
6. भारत सरकार के पत्र कमांक K-11011/2/08-NREGA(MON)/TS दिनांक 09.07.09 के संदर्भ में लेबर के बैंक अकाउन्ट्स की सूचना जो कि भारत सरकार की वेबसाइट पर प्रदर्शित हो रही है। उसमें सभी जिलों की सूचना 15 प्रतिशत से भी कम दर्ज की गई है। इनमें से जालौर, टोंक, भीलवाडा, बीकानेर, धौलपुर,

हनुमानगढ़, झुन्झुनु, कोटा, राजसमन्द एवं श्रीगंगानगर जिलों की बैंक अकाउन्ट्स की सूचना शून्य अथवा बहुत कम है, उसे एक सप्ताह के अन्दर सही करवाने का श्रम करे।

7. भारत सरकार के दिनांक 20.07.09 के पत्र के संदर्भ में बेरोजगारी भत्ता एवं अनमेट डिमांड की सूचना को अपडेट करने के लिये कहा गया है। इसके बारे में कई बार पत्र द्वारा सुनिश्चित किया जा चुका है, परन्तु फिर भी अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया है। केवल जालौर जिले का बेरोजगारी भत्ता जो भारत सरकार की वेबसाईट पर प्रदर्शित हो रहा है वह कुल बेरोजगारी भत्ते का 50 प्रतिशत से भी अधिक है। इसे तुरन्त अपडेट करवाने का श्रम करें।
8. एमआईएस मैनेजर्स द्वारा बैठक के दौरान यह अवगत कराया गया कि फण्ड मैटेरीयल सम्बन्धित एन्ट्रीयों के लिए सरपंच एवं ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव/ग्राम रोजगार सहायक द्वारा बिल वाउचर की प्रतिया उपलब्ध नहीं कराई जाती है। जिसके कारण वित्तीय वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में किया गया सामग्री मद में व्यय भारत सरकार की वेबसाईट पर ओन लाइन नहीं हो पा रहा है। इस हेतु निर्देशित किया जाता है कि ग्राम पंचायतों को सामग्री मद की राशि तक स्थानान्तरित नहीं की जावे जब तक की ग्राम पंचायतों द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 व 2009-10 की अन्तिम-एवं गत पख्वाड़े तक बिल वाउचर की एन्ट्रीया एमआईएस में पूर्ण नहीं करा दी जावे। इसके लिए कार्यक्रम अधिकारी द्वारा यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि ग्राम पंचायत द्वारा सामग्री मद की व्यय की राशि की एमआईएस में एन्ट्रीयों कर ली गई है।
8. एमआईएस मैनेजर्स द्वारा यह भी अतगत कराया गया कि कार्यालय द्वारा उनको एवं उनके एमआईएस कर्मियों को एमआईएस कार्य करने के लिए प्राथमिकता नहीं दी जाती है। उन्हें अन्य कार्यों में नियोजित कर लिया जाता है। इस संदर्भ में आप यह सुनिश्चित करे कि सर्वप्रथम एमआईएस कर्मियों को एमआईएस से सम्बन्धित कार्य करवाने की प्राथमिकता दी जावे।

भवदीय

(राजेन्द्र भाणावत)  
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित है:-

1. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं जिला कलक्टर, समस्त।
2. जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त।
3. एमआईएस मैनेजर्स, नरेगा जिला परिषद समस्त।

अधिशासी अभियन्ता (वी), ईजीएस